



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018
www.rsmsssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं. 0141-2722520



प.14(157)RSSB/अर्थना/क.त.स./संविदा भर्ती/2024

Date: E-Sign

संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा-2024 का अंतिम परिणाम सूची-02

महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग के लिये राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 के अन्तर्गत संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2021 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 179) कुल 2200 पदों पर भर्ती हेतु संबंधित विभाग से अर्थना प्राप्त होने पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या 21/2024 दिनांक 11.12.2024 जारी कर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। उक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन दिनांक 18.05.2025 को किया गया था। पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 17.09.2025 को परिणाम जारी कर अस्थाई व अनन्तिम विचारित सूची विभाग को प्रेषित की गयी थी। विभाग द्वारा उक्त सूचियों में से पात्रता एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध कर इनकी पात्रता जांच एवं दस्तावेजों का सत्यापन करवाया गया है।

विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त भर्ती परीक्षा में पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के पश्चात पात्र पाये गये अभ्यर्थियों में से वरीयता एवं प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 03.12.2025 को जारी अंतिम परिणाम सूची में श्रेणीवार गैर-अनुसूचित क्षेत्र में महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग के लिए संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 2021 रिक्त पदों के विरुद्ध 1912 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन एवं 03 अभ्यर्थियों का अनन्तिम (Provisionally) रूप से चयन किया गया था। इसी प्रकार अनुसूचित क्षेत्र में 179 रिक्त पदों के विरुद्ध 26 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया था।

संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक सीधी भर्ती-2024 में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के गैर-अनुसूचित क्षेत्र में रिक्त रहे 51 पदों को विज्ञप्ति के अनुसार सामान्य प्रक्रिया से भरे जाने के सम्बन्ध में संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति हेतु अभिस्तावित की जा रही है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की कट-ऑफ मार्क्स **181.6463** है एवं सूची (संलग्न) है।

नोट:-

1. उक्त परिणाम माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एसबी सिविल याचिका संख्या 9674/2025 मुकेश कुमार पुत्र श्री लेखराज बनाम राज्य व अन्य तथा डीबी सिविल याचिका संख्या 18984/2024 सुधीर दामोर पुत्र श्री मान शंकर दामोर व अन्य बनाम राज्य व अन्य के अंतिम निर्णय के अधधीन रहेगा।
2. अनंतिम (Provisionally) रूप से चयनित अभ्यर्थियों की विभाग द्वारा पात्रता निर्धारित होने पर ही नियुक्ति दी जावेगी। अपात्र होने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
3. किसी भी स्तर पर चयनित अभ्यर्थी द्वारा भर्ती हेतु कूटरचित दस्तावेजों के उपयोग अथवा अन्य अनियमितताओं की जानकारी प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के चयन हेतु बोर्ड द्वारा की गई अनुशंसा प्रत्याहरित कर ली जाएगी।
4. उक्त परिणाम विभाग से प्राप्त पात्रता जांच रिपोर्ट के अनुसार जारी किया गया है। विभाग स्तर से किसी अभ्यर्थी की पात्रता में परिवर्तन होने या अन्यथा कोई प्रकरण संज्ञान में आने पर उक्त परिणाम में संशोधन किया जा सकेगा।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभारी अधिकारी, आईटी अनुभाग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
2. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)।

सचिव